पत्रांक 57/स०को०

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,भा०प्र०से०
सरकार के प्रभारी सचिव।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी।
झारखंड।

---------------------------

सभी जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–
अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
झारखंड।

दिनांक ......................

विषयः **राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में लू एवं गर्म हवाओं से बचाव के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निमित्त विभाग द्वारा जारी पत्रांक– 56/स.को., दिनांक 25.04.2024 को राज्य के सभी निजी विद्यालयों में भी विस्तारित करने संबंध में।**

प्रसंग : इस कोषांग का पत्रांक– 56/स.को., दिनांक 25.04.2024

महाशया/महाशय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में कहना है कि झारखण्ड राज्य में लू एवं गर्म हवाओं से बचाव के लिए आवश्यक उपाय करने के संबंध में विभागीय पत्रांक–56/स.को., दिनांक 25. 04.2024 के द्वारा विद्यालय अवधि में वाटर बेल (Water Bell) के आयोजन का निदेश दिया गया था, जिसमें प्रातः 8.30 बजे एवं पुनः 10.30 बजे विद्यालयों के सभी बच्चों को स्वच्छ पानी पिलाने की व्यवस्था करने के लिए निदेशित किया गया है। साथ ही साथ Heat Wave से बचने के लिए अन्य उपायों को भी सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है।

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि उक्त विषयक पत्रांक– 56/स.को., दिनांक 25.04.2024 में जारी निदेशों को राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के साथ–साथ निजी विद्यालयों में भी अनिवार्य रुप से लागू किया जाय। विभाग स्तर से जल्दी ही इसकी समीक्षा Virtual Mode से की जाएगी।

**अनुलग्नकः यथोपरि।**

विश्वासभाजन,

26/04/24

(उमा शंकर सिंह)
सरकार के प्रभारी सचिव।

ज्ञापांकः – 57/स०को०

रांची,दिनांक...............

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।
3. राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।
4. CFO, UNICEF को सूचनार्थ प्रेषित।
5. सभी उपायुक्त/सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/04/24

सरकार के प्रभारी सचिव।

पत्रांक ......56/14...37

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,भा०प्र०से०
सरकार के प्रभारी सचिव।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी।
झारखंड।
---------------------------
सभी जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–
अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
झारखंड।

दिनांक 25.4.2024

**विषयः** **राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में लू एवं गर्म हवाओं से बचाव के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में।**

महाशया/महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि इस वर्ष झारखण्ड राज्य में अत्यधिक गर्मी का सामना सभी विद्यालयों को करना पड़ रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चें एवं शिक्षक प्रभावित हो रहे है। आने वाले कुछ दिनों में तापमान में और वृद्धि की संभावना है, जिसके कारण Dehydration का भी खतरा रहता है। भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों के पठन–पाठन के समय में परिवर्तन किया गया है। साथ ही राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को गर्मी के इस मौसम में तेज धूप एवं लू के प्रतिकुल प्रभाव से बचाव का उपाय किया जाना अनिवार्य है।

इस चुनौती का सामना करने के लिए युनिफेफ़ द्वारा **"वाटर बेल"** (Water Bell) की व्यवस्था का सुझाव दिया गया है। इसमें स्वच्छ पानी की उपयोगिता को प्रोत्साहित करने, विद्यालय में सभी बच्चों को नियमित अंतराल में स्वच्छ पानी पीने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को Dehydration से बचने का विकल्प देना आदि शामिल है। यह आवश्यक है कि बच्चों में स्वच्छ पानी पीने की आदत को और अधिक विकसित किया जाए। इसके लिए निम्न प्रकार की गतिविधियां सुनिश्चित की जाए :–

1. **वॉटर बेल का आयोजनः** सभी विद्यालयों में घंटी बजाकर बच्चों को स्वच्छ पानी पीने के लिए प्रेरित किया जाए। यह कार्य प्रातः 08:30 बजे एवं पुनः 10:30 बजे किया जाए। बेल बजने के साथ ही विद्यालय के सभी बच्चे कतार में लगकर स्वच्छ पानी पीयेंगे। इसके लिए सभी कक्षा–कक्ष के पास स्वच्छ पानी का घड़ा, स्वच्छ पानी, टीसनी, पानी का ग्लास आदि की व्यवस्था विद्यालय प्रबंधन द्वारा किया जाएगा।
2. यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी बच्चें आवश्यक रूप से विद्यालय अवधि में कम से कम एक ग्लास स्वच्छ पानी दो बार अवश्य पीयें।
3. वॉटर बेल का उद्देश्य है कि सभी बच्चे एवं शिक्षकों को निर्धारित समय पर स्वच्छ पानी पीने के लिए स्मारित किया जाए।

अतः उक्त के आलोक में निम्न का अनुपालन भी सभी विद्यालयों में अनिवार्य रुप से सुनिश्चित करने का निदेश दिया जाता हैं :-

1. सभी विद्यालयों में, जहां विद्युत की सुविधा उपलब्ध है, उसे तत्काल क्रियाशील बनाया जाय तथा वर्ग कक्षों में उपलब्ध पंखों को चालू हालत में रखना सुनिश्चित किया जाए।
2. इस हेतु जिला एवं प्रखण्ड के सभी कर्मी एवं पदाधिकारी विद्यालयों का अनुश्रवण कर विद्युत की सुविधा को कियाशील बनाना सुनिश्चित करेंगे।
3. सभी विद्यालयों में शुद्ध एवं पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय। बच्चों के लिए मिट्टी के घड़े अथवा अन्य कोई अनुकूल पात्र की व्यवस्था विद्यालय विकास अनुदान से करना सुनिश्चित किया जाय।
4. गर्मी में हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए ज्यादा स्वच्छ पानी पीने के लिए प्रेरित किया जाय।
5. गर्म हवाओं के कारण स्वास्थ्य पर मौसम के दुष्प्रभाव से बचने के लिए नींबू-पानी, नमक-चीनी का घोल, चना-गुड़, कच्चे आम सत्तु का शर्बत आदि का सेवन करने हेतु प्रेरित किया जाय तथा मध्याह्न भोजन में भी इसकी व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय। मध्याह्न भोजन छांव में कराना सुनिश्चित किया जाय।
6. गर्म हवाओं के कारण स्वास्थ्य पर मौसम के दुष्प्रभाव से बचने के लिए ओ.आर.एस. के घोल की व्यवस्था विद्यालयों में सुनिश्चित किया जाय। ओ.आर. एस. का पैकेट निकटतम सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य उप-केन्द्र/ ए.एन.एम. /सहिया के पास निःशुल्क उपलब्ध है।
7. बच्चों को गर्मी के मौसम में मसालेदार, तेलीय एवं उच्च नमक वाले पदार्थो के सेवन नहीं करने की सलाह दी जाय।
8. बच्चों को गर्मी में खाली पैर नहीं रहने के लिए निर्देशित करें।
9. तेज धुप में किसी भी प्रकार का खेल का आयोजन या कार्यक्रम नहीं किया जाय। आवश्यकतानुसार अधिक से अधिक इंडोर गेम का आयोजन किया जाए।
10. राज्य स्तर पर एक Google Sheet सभी जिलों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका लिंक Whatsapp के माध्यम से भेजा जाएगा। सभी जिला प्रतिदिन खैरियत प्रतिवेदन राज्य कार्यालय को संध्या 06:00 बजे तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,

25/04/24

(उमा शंकर सिंह)
सरकार के प्रभारी सचिव।

ज्ञापांकः 56/(1.9२ रांची,दिनांक 25.4.2024

प्रतिलिपिः-

1. सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।
3. राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।
4. CFO, UNICEF को सूचनार्थ प्रेषित।
5. सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/04/24

सरकार के प्रभारी सचिव।